श्री दीपक कुमार यादव
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा (नालन्दा)
अग्रिम जमानत आवेदन – 159/26
इस्लामपुर थाना काण्ड सं0– 572/25

सिंकी देवी एवं अन्य.....आवेदकगण

बनाम

बिहार सरकार.....विपक्षी

18/03/2026 आवेदक (1) सिंकी देवी पति कुन्दन कुमार उम्र लगभग 26 वर्ष, (2) मंजु देवी पति उमेश यादव उम्र लगभग 40 वर्ष एवं (3) कुन्दन कुमार पिता उमेश यादव, उम्र लगभग 26 वर्ष, सभी साकिनान– बालमत विगहा, थाना इस्लामपुर, जिला नालन्दा की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमार द्वारा संचालित किया गया। आवेदकगण इस्लामपुर थाना काण्ड सं0– 572/25, दिनांक 28/10/2025 बी0एन0एस0 की धारा– 126(2), 115(2), 109, 303(2), 352 3(5) के अन्तर्गत अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि आवेदकगण की ओर से पूर्व में किसी भी न्यायालय में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदकगण निर्दोष है तथा कोई घटना नहीं किए हैं। आवेदकगण पर लगाए गए धारा 109 बी0एन0एस0 को छोड़कर अन्य धारायें जमानतीय हैं जो आवेदकगण पर लागू नहीं होता है। मारपीट एवं चोरी का कोई विशिष्ट आरोप किसी भी आवेदकगण पर नहीं लगाया गया है। दोनों पक्ष गोतिया हैं। इस वाद के अभियुक्ता मंजु देवी पति उमेश यादव एवं वादिनी का पति जितेन्द्र यादव अपना सहोदर भाई हैं। मामला सिर्फ घरेलू एवं जमीनी विवाद को लेकर झूठा मुकदमा लाया गया है। आवेदकगण के विरुद्ध कोई दूसरा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। आवेदकगण धारा– 482(2) बी0एन0एस0 के प्रावधानों का पालन करने तथा न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित बंध पत्र दाखिल करने को तैयार हैं। अतः किसी भी राशि के अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का प्रार्थना किया गया।

विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए जमानत खारिज करने की प्रार्थना की गई।

सूचिका बबिता कुमार द्वारा थाना में दिए गए आवेदन के अनुसार संक्षेप में यह है कि दिनांक 27/10/2025 को रात 7:00 बजे सूचिका का ही गोतिया कुन्दन कुमार, सिंकी देवी और मंजु देवी सभी ग्राम बालमत विगहा, थाना इस्लामपुर, जिला नालन्दा ने मापीट कर सूचिका का सर फोड़ दिया जिससे सूचिका बुरी तरह घायल हो गई। अभियुक्तों ने सूचिका के साथ मारपीट के क्रम में सोने का आधा भर का जितीया ले लिया तथा सूचिका की पुत्री जुली कुमारी को भी उक्त अभियुक्तों ने मारपीट कर पूरी तरह से जख्मी कर दिया।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदकगण क्रमशः माता, पिता एवं पुत्रवधु हैं। आवेदकगण पर सूचिका एवं उसकी पुत्री को मारपीट कर जख्मी करने का आरोप लगाया गया है। काण्ड दैनिकी के साथ संलग्न जख्म प्रतिवेदन का अवलोकन किया। जख्मी बबीता कुमारी को सर पर साधारण प्रकृति का कठोर एवं भोथरे वस्तु से कारित lacerated wound का जख्म है तथा जख्मी जूली कुमारी को Bruise का जख्म कंधे पर है, जो साधारण प्रकृति का कठोर एवं भोथरे वस्तु से कारित बताया गया है। काण्ड दैनिकी के कंडिका– 30 के अवलोकन से विदित है कि आवेदकगण पर पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है एवं यह उनका प्रथम अपराध है। झगड़ा का मुख्य कारण जानवर बांधने के लिए रास्ते पर खूंटा गाड़ना बताया गया है।

अग्रिम जमानत आवेदन – 159/26
इस्लामपुर थाना काण्ड सं0– 572/25

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, मामले की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण को निम्न न्यायालय में आदेश प्राप्ति की तिथि से एक माह के अन्दर आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की दशा में मो0– 10,000/– रुपए के दो प्रतिभुओं द्वारा बंध पत्र दाखिल करने पर निम्न न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर धारा– 482(2) द0प्र0स0 के शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि (1) एक जमानतदार नजदीकी परिवार का सदस्य होगा तथा दूसरा ग्राम समाज का सम्मानित सदस्य होगा (2) आवेदक काण्ड के साक्षियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन या धमकी नहीं देंगे और साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। (3) उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन करने पर बंध पत्र खंडित करने हेतु न्यायालय स्वतंत्र होगा।

(लेखापित एवं संशोधित)

(दीपक कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा (नालन्दा)